उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-199/2019/2995/92-2-2019-232आरई/2009,

लखनऊ :: दिनांक:: 26 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी0आई0यू0-2, इटावा के फेज-2 के पैकेज संख्या-यू0पी0-2244 के अंतर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.02.2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जांच के संपादनार्थ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल बरेली के पत्र दिनांक 20.04.2012 द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13.06.2012 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभयावेदन उपलब्ध न कराने पर शासन के पत्र दिनांक 22.02.2013, 05.07.2014 व 23.01.2015 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारित कराया गया किन्तु अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 18.05.2015 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय से अभ्यावेदन मांगे जाने विषयक शासन के पत्र दिनांक 23.01.15 की प्रति उन्हें दिनांक 25.02.2015 को प्राप्त कराते हुए तामीली की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

3- अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय के विरूद्ध नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनिक जांच को शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.01.2016 द्वारा सी0एस0आर0 के निमय-351ए में परिवर्तित किया जाने का निर्णय लिया गया तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के आधार पर शासन द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओ के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रूपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन के पत्र दिनांक 14.01.2016 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

4- मा0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 04.08.2016 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड पर निम्नवत सहमति व्यक्त की गयी:-

"शासन द्वारा प्रस्तावित शास्ति शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रूपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी श्री सहाय के सेवानैवृत्तिक देयकों से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली की जाये।"

5- मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.02.2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2 इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.01.2016 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए मे परिवर्तित किया गया में श्री धीरेन्द्र सहाय से शासकीय क्षति रू0 21,21,020.00 (रूपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार बीस मात्र) की वसूली के आदेश दिनांक 07.10.2016 को पारित किये गये।

6- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.10.2016 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी श्री धीरेन्द्र सहाय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 24.09.2018 को शासन में उपलब्ध कराया गया। जिसके क्रम मे शासन के पत्र दिनांक 15.11.2018 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल बरेली को अपचारी अधीकारी श्री धीरेन्द्र सहाय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.04.2019 द्वारा श्री सहाय के प्रत्यावेदन दिनांक 24.09.2018 को उसमें कोई नवीन तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत बलहीन पाये जाने पर निरस्त करते हुये निस्तारित कर दिया गया।

7- शासन के पत्र दिनांक 09.07.2019 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा के निलम्बन अवधि दिनांक 05.02.2010 से दिनांक 03.04.2012 तक के अवशेष वेतन/भत्तों के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत निर्गत नोटिस के क्रम मे प्राप्त श्री धीरेन्द्र सहाय का दिनांक रहित निम्नवत उत्तर है:-

1. ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-इटावा में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कार्य करते हुये श्री सहाय ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-2, इटावा फेज-2 के पैकेज सं0-यूपी-22 के अंतर्गत निर्माण कार्य की गयी अनियमितता के लिए जो नोटिस शासन द्वारा उन्हे दिया गया को उसे गलत बताते हुए उनका कथन है कि उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच में जॉच अधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 में जॉच हेतु विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार जॉच सम्पादित की गयी है। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या नियमों के विपरीत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. शासन द्वारा प्रेषित नोटिस की धारा-2 को अस्वीकार करते हुए श्री सहाय द्वारा कहा गया है कि जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बरेली के पत्र दिनांक 20-04-2012 द्वारा दी गयी जांच आख्या में अनेको त्रुटियॉ थी। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच हेतु कोई भी समय स्थान व दिनांक निश्चित नही किया गया है और न ही उनको मौखिक सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए किसी साक्षी को परीक्षण का अवसर प्रदान किया गया है।

3. शासन द्वारा भेजी गयी नोटिस के धारा 3 व 4 जिस प्रकार कही गयी है उसे अस्वीकार करते हुए उनका कथन है कि उनके विरूद्ध लगाये गये चारो आरोप निराधार एवं असत्य है। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या में आरोप संख्या-1 से 3 आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या-4 पूर्णरूप से सिद्ध पाये गये, किन्तु यदि नियमानुसार जॉच सम्पादित की जाती तो उनके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप असत्य पाये जाते तथा प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 05-04-2010 के विरूद्ध उन्होने एक विस्तृत तथ्य सहित प्रत्यावेदन दिनांक 04-05-2010 को जॉच अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया था, जिसमें उन्होने उनके विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोपों से इंकार किया गया था, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया तथा सी0एस0आर0 के नियम-351ए मे अर्न्तनिहित प्रावधानो का पालन नहीं किया गया है। जॉच आख्या में उनके विरूद्व गम्भीर अनाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है, जो कि सी0एस0आर0 के नियम-351ए के तहत दण्डाधिकार पारित करने हेतु निर्धारित शर्ते है एवं पारित दण्डादेश द्वारा उनके समस्त सेवानिवृत्त देयकों एवं लाभों को रोक लिया गया है जबकि सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत केवल पेंशन रोके जाने का अधिकार है ग्रेच्युटी रोके जाने का प्राविधान नहीं है।

   प्रेषित आरोप पत्र दिनांक 05.04.2010 का उत्तर उनके द्वारा दिनांक 04-05-2010 को दे दिया गया था, किन्तु अंतिम आदेश बहुत ही विलम्ब से दिनांक 07-10-2016 को पारित किया गया और इसी बीच वे अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर दिनांक 30-09-2015 को सेवानिवृत्त हो गये। उनकी निलम्बन अवधि दि0 05-02-2010 से दिनांक 03-04-2012 तक को कर्तव्यार्थ अवधि न मानना पूर्णत: गलत है एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-5 एवं फाइनेसल हैण्डबुक के नियम-54 में अंतर्गत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही अनुचित है।

4. श्री सहाय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त अनियमितताओं एवं उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों एवं पारित दण्डादेश दिनांक 07.10.2016 के विरूद्ध पुनर्विलोकन हेतु अभ्यावेदन उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके पश्चात शासन द्वारा पुन: 09.01.2019 को विभाग में प्रस्तुत होने का निर्देश जारी किया था। श्री सहाय नियत तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए जिसमे उनको केवल खानापूर्ति करके जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल बरेली द्वारा वापस भेज दिया गया एवं शासन द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 07.10.2016 को पुन: आदेश दिनांक 15.04.2019 में यथावत रखते हुए उनके द्वारा दिये गये साक्ष्यों को अनदेखा कर दिया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उपर्युक्त दण्डादेश- दिनांक 07.10.2016 एवं 15.04.2019 से क्षुब्ध होकर श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा दिनांक 19.09.2019 को एक रिट याचिका सं0-25694/2019 (एस0एस0) मा0 उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ में दाखिल करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त रिट याचिका के निस्तारण तिथि तक कोई भी निर्णय न लिया जाय।

8- श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ लखनऊ मे योजित उक्त रिट याचिका सं0-25694/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश/स्थगनादेश आदि पारित नहीं किया गया है। अत: श्री सहाय के निलम्बन अवधि दिनांक 05.02.2010 से दिनांक 03.04.2012 तक के अवशेष वेतन/भत्तों के संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2(4) के अंतर्गत निर्गत नोटिस के क्रम मे प्राप्त उत्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उनके उत्तर में किसी नवीन तथ्य/अभिलेख का उल्लेख नही होने, जिससे प्रकरण में दिए गए दण्ड के औचित्य को खण्डित किया जा सके। उन्हें दिये गये दण्ड के दृष्टिगत निलम्बन का औचित्य पाया गया। अतएव श्री धीरेन्द्र सहाय के उक्त उत्तर को बलहीन पाते हुए निलम्बन अवधि दिनांक 05.02.2010 से दिनांक 03.04.2012 तक को कर्तव्यार्थ सेवा अवधि न मानने एवं उक्त अवधि के लिए वेतन/भत्तों को उन्हें दिए गए **'जीवन निर्वाह भत्ते'** तक ही सीमित रखते हुए प्रकरण को एतदद्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित किये जाने की श्री राज्य पाल सहंर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से,

राजेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-199/2019/2995(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-2, इटावा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in